संख्या-19/2020/678 /71-4-2020-698/2020 टी0सी0-6

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 01 जून, 2020

विषय-वित्तीय वर्ष 2020-21 में True Nat Real Time quantitive Micro PCR मशीन/किट क्रय किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पत्रांक-एमई/पर्चेज/ कोविड-19/511, दिनांक 28 मई, **2020** (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा, हेतु विभागीय बजट से True Nat-Real Time quantitive Micro PCR Machine एवं इसके प्रयोगार्थ किटस का क्रय किये जाने के लिये संस्तुति सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- महानिदेशक के उपरिसंदर्भित पत्र में True Nat-Real Time quantitive Micro PCR Machine के प्रोप्राइटरी आइटम होने का उल्लेख करते हुए प्रति नग मूल्य रू0 12,00,000/- + रू0 1,44,000/- (टैक्स) कुल रू0 13,44,000/- की दर से 02 नग True Nat-Real Time quantitive Micro PCR Machine का टैक्स सहित मूल्य रू0 26,88,000/- (रूपये छब्बीस लाख अठ्ठासी हजार मात्र) एवं इन मशीनों के उपयोगार्थ प्रति टेस्ट रू0 1232/-की दर से एक माह हेतु रू0 31,41,600/- (रूपये इक्कतीस लाख इकतालिस हजार छ: सौ मात्र) आंकलित की गयी है।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय में कोविड-19 के प्रबन्धन एवं इमरजेन्सी सेवाओं के संचालन हेतु 02 नग True Nat-Real Time quantitive Micro PCR Machine के क्रय की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त मशीन के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के पूँजीलेखा में संस्थान में उपकरण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 26,88,000/- (रूपये छब्बीस लाख, अठ्ठासी हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1- नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुये ही True Nat-Real Time quantitive Micro PCR मशीन एवं किटस का क्रय किया जाये।

2- True Nat मशीन के प्रोपरायटरी होने का निर्धारण किये जाने का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 तथा संबंधित चिकित्सा विश्वविद्यालय के प्रमुख का होगा।

3- True Nat मशीन (04 स्लॉट की सुविधायुक्त) एवं किट्स (01 माह हेतु) के स्पेक्स एवं गुणवत्ता मानक के अनुसार निर्धारित करते हुये आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित चिकित्सा विश्वविद्यालय के प्रमुख का होगा।

4- महानिदेशक द्वारा Molbio Diagnostics Pvt. Ltd फर्म के कोटेशन के आधार पर प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, यदि संबंधित फर्म द्वारा गलत सूचना दी गयी है, तो फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जायेगा।

5- मशीन क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में प्राविधानित धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा संबंधित चिकित्सा शिक्षा अनुभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- मशीन के क्रय हेतु प्रचलित सुसंगत क्रय नियमों/अन्य नियमों का पालन करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर निर्गत सुसंगत नियमों व शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- कोविड-19 की आकस्मिकता के दृष्टिगत महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, द्वारा संस्थान को यथापेक्षित सहयोग प्रदान कर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित की जायेगी।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब मशीन/किटस के क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा कर ली गयी हो।

9- स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।

10- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

11- कुलसचिव/वित्त नियंत्रक द्वारा क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- उक्त मशीन/किटस का क्रय किए जाने के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण किए जाने के पश्चात, यदि मशीन/किटस के क्रय के पश्चात धनराशि की बचत होती है तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में क्रय किए जाने वाले अन्य उपकरणों में तदनुसार समायोजित किया जायेगा।

13- प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य के शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित की जाय।

14- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

15- मशीन एवं किटस के क्रय के संबंध में सुसंगत नियमों इत्यादि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की संपूर्ण जिम्मेदारी निदेशक/वित्त नियंत्रक की होगी। क्रय की जाने वाली उपकरणों की विशिष्टयों के निर्धारण एवं ऑडिट आदि की सभी जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था की होगी।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, यू0पी0यू0एम0एस0, सैफई, इटावा द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- True Nat-Real Time quantitive Micro PCR Machine पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31 -चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूँजी लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-05-रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा-26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयत्र'' के नामे डाला जायेगा।

6- मशीन के उपयोगार्थ किटस के क्रय पर होने वाला व्यय गैर वेतन मद से वहन किया जाएगा एवं उससे संबंधित क्रय प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-19/2020/678(1)/71-4-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, इटावा।
5. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।